"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर 2010—आश्विन 7, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2010/1350.—05-भटगांव विधान सभा उप चुनाव-2010 हेतु एक्जिट पोल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना संख्या 576/ई एक्स आई टी/2010/एस.डी.आर., दिनांक 29 सितम्बर, 2010 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुमार कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

संख्या 576/ई एक्स आई टी/2010/एस.डी.आर.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आयोग एतद्द्वारा दिनांक 01-10-2010 को पूर्वान्ह 08.00 बजे से अपरान्ह 05.30 बजे तक के समय को ऐसे समय के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान किसी निर्गम मतानुमान का संचालन करना या इसका प्रचार करना जो कुछ भी हो, 5-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ की विधान सभा के चालू उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी निर्गम मतानुमान के परिणाम पर रोक लगा दी जाएगी.

यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी मत सर्वेक्षण या किसी अन्य मत सर्वेक्षण के परिणाम सहित, दिनांक 29-09-2010 को अपरान्ह 05.00 बजे से प्रारंभ करके 48 घण्टों की अवधि के लिए पूर्वोक्त उप-निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी जाएगी.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. एफ. विल्फ्रेड)

सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 29th September, 2010

NOTIFICATION

No. 576/EXIT/2010/SDR.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, and having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, the Commission hereby notifies the period between 8 A.M. and 5.30 P.M. on 01-10-2010, as the period during which conducting any exit poll or disseminating in any manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current bye-election to the Legislative Assembly of Chhattisgarh from 5-Bhatgaon Assembly Constituency would be prohibited.

It is further clarified that under Section 126 (1) (b) of the Representation of the People Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours commencing from 5 P.M. on 29-09-2010, in connection with aforesaid bye-election.

By order,

Sd/-

(K. F. WILFRED)

Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.